उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-17/2020/156/92-2-2020-07(जॉच)/2012,

लखनऊ :: दिनांक:: 15 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-कानपुर नगर के डा0 अम्बेडकर ग्रामों (डा0 अम्बेडकर ग्राम महीपालपुर, ब्रम्हौरी, एंव डा0 अम्बेडकर ग्राम धरमंगतपुर) में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों की जांच में पायी गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति तथा लीन कंक्रीट मे प्राविधानित सीमेन्ट का उपयोग न करना, जिसके कारण बेस् कंक्रीट कमजोर पाये जाने, शिथिल पर्यवेक्षण एवं गुणवतता नियंत्रित न करने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1065/92-2-2018-07(जॉच) /2012, दिनांक 01.05.2018 द्वारा श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1421/92-2-2018-07(जांच)/2012, दिनांक 12.07.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 13.07.2018 द्वारा जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3- इसी मध्य शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-133/ 2018/2592/92-2-2018-07(जांच)/2012, दिनांक 09.10.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-अयोध्या (फैजाबाद) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-अयोध्या (फैजाबाद) ने अपने पत्र दिनांक 15.11.2019 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री राजेश कुमार के विरूद्ध अधिरोपित कुल-02 आरोपों को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष आरोप संख्या-1 एवं आरोप संख्या-2 को जांच आख्या की विवेचना में प्रमाणित नहीं पाया गया।

4- अपचारी अधिकारी श्री राजेश कुमार के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 एवं आरोप संख्या-2 को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना में अपचारी अधिकारी श्री राजेश कुमार के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1065/ 92-2-2018-07(जॉच)/2012, दिनांक 01.05.2018 द्वारा श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही की जांच अधिकारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- यह शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

जांच आख्या के आधार पर दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-17/2020/156(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-अयोध्या(फैजाबाद)।
3- श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

ttp://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।